

PORTAL

2019/00273

सरवरक

18.07.2019

8/8/19

9/8/19

(कायदा -129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ जिला -भीलवाडा(राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसल नं. 5
111-128 LR-रूट प्रार्थना-पत्र	241/19	29.06.2019	05/11/2019	स्वामि

अनवान

श्री कंवर लाल वर्मा (10) श्री कमलेश कुमार वर्मा (2)
निवासी मानपुरा निवासी व.ह. 105/106

श्री निरंजन जी राव
अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपीलाण्ट/
डिकीदार

अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पोंडेण्ट
मदयुनान

05/11/2019

यज्ञावली बहस ठेगू येश दुई । अधिवक्ता
पार्थी उमास्थित । यज्ञावली के अवलोकन से
जाहिर होता है कि पार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण
स्वाता विक्रय कर दिया गया है जिसकी
पुरि जमाबन्दी सम्बत् 2074-77 ग्राम
मानपुरा मंठवार हल्का मानपुरा लहसील
मोडलगढ़ के अवलोकन से होती है । चूंकि
अब वर्तमान में पार्थीगण पार्थना यज्ञ में
वर्णित आराधियात के स्वातेदार कार्तकार
नहीं है अतः ऐसी स्थिति में पार्थीगण को
कोई अनुत्तय दिया जाना न्यायालय उचित
नहीं समझती है । अतः पार्थना - पत्र अंतर्गत
धारा 111-128 LRA 1956 को खारिज किया
जाता है । यज्ञावली में सत्य शुमार हीकर
नम्बर से कम है ।

मह

उपखण्ड अधिकारी
मोडलगढ़